उत्तरांचल शासन

राज्य योजना आयोग/नियोजन निदेशालय

राज्य योजना आयोग/नियोजन निदेशालय, उत्तरांचल के संगठनात्मक ढांचे का संशोधित ढांचा

10 अक्टूबर, 2002 ई0

सं0 219/नि0अनु0/02–48/नि0वि0/ढांचा/02–राज्य में नियोजन एवं विकास के कार्यों को प्रभावी एवं गुणवत्तापूर्वक क्रियान्वयन किये जाने हेतु नियमित अनुश्रवण मूल्यांकन भौतिक सत्यापन एवं स्वावलम्बन की दृष्टि से राज्य योजना आयोग एवं नियोजन निदेशालय के संगठनात्मक ढांचे के संशोधित प्रस्ताव के पुनर्गठन पर श्री राज्यपाल महोदय सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं।

2–इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि सम्यक विचारोपरान्त राज्य योजना आयोग के अन्तर्गत मा0 मुख्यमंत्री, उत्तरांचल पदेन अध्यक्ष, एक उपाध्यक्ष तथा पांच पूर्णकालिक सदस्य एवं अंशकालिक सलाहाकार तथा विभिन्न विषय विशेषज्ञ होंगे। नियोजन निदेशालय के अन्तर्गत पांच प्रभाग–योजना संरचना, अनुश्रवण एवं मूल्यांकन संसाधन प्रबन्धन, प्रायोजना रचना एवं मूल्यांकन तथा अनुसन्धान प्रभाग के लिए पूर्व में सृजित पदों को परिवर्तित एवं परिवर्द्धन करते हुए निम्नवत् पदों के सृजन की स्वीकृति प्रदान करते हैं :

क्रम सं0	पदनाम	वेतनमान	पदों की संख्या
1.	निदेशक	पदेन	–
2.	अपर निदेशक	14300–18300	01
3.	संयुक्त निदेशक	12000–16500	02
4.	वरिष्ठ शोध अधिकारी	10000–15200	06
5.	शोध अधिकारी	8000–13500	12
6.	शोध सहायक	5500–9000	13
7.	अन्वेषक	4500–7000	10
8.	सहा0 कम्प्यू0 प्रोगा0/ डाटा इण्ट्री ऑपरेटर	4500–7000	03
9.	निजी सचिव	6500–10500	01
10.	वैयक्तिक सहायक	5500–9000	02
11.	आशुलिपिक	4500–7000	03
12.	कार्यालय अधीक्षक	5500–9000	01
13.	मुख्य लिपिक	4500–7000	01
14.	लेखा/वरिष्ठ सहायक	4000–6000	04
15.	कनिष्ठ सहायक/स्टोर कीपर/ पुस्तकालय सहायक	3050–4590	08
16.	वाहन चालक	3050–4590	05
17.	अनुसेवक	2550–3200	08
		योग	80

पुनर्गठन के फलस्वरूप पूर्ववर्ती उत्तरांचल प्रभाग एवं क्षेत्रीय कार्यालयों (श्रीनगर/अल्मोड़ा) में कार्यरत कर्मियों को नियमानुसार नियोजन निदेशालय में समायोजित किया जाना सुनिश्चित किया जायेगा।

राज्य योजना आयोग/नियोजन निदेशालय का मुख्यालय देहरादून में रहेगा।

नियोजन निदेशालय के निदेशक, सचिव नियोजन, पदेन होंगे।

नियोजन निदेशालय के पूर्व पुनर्गठन शासनादेश संख्या 165/पुनर्गठन/नियो0निदे0/2001–02, दिनांक 25 जनवरी, 2002 को इस सीमा तक संशोधित समझा जाये।

कृपया उपरोक्त के सम्बन्ध में आवश्यक कार्यवाही करने तथा कृत कार्यवाही से शासन को अवगत कराने का कष्ट करें।

परिशिष्ट–3 अ

राज्य योजना आयोग का संगठनात्मक ढांचा

अध्यक्ष (मा0 मुख्यमंत्री जी, पदेन)

↓

उपाध्यक्ष

↓

पूर्णकालिक सदस्य | अंशकालिक सलाहकार एवं विभिन्न विषय विशेषज्ञ

1. मुख्य सचिव–सदस्य
2. प्रमुख सचिव/आयुक्त ग्रा0वि0–सदस्य
3. प्रमुख सचिव, वित्त–सदस्य
4. प्रमुख सचिव, अवस्थापना–सदस्य
5. सचिव, नियोजन–सदस्य सचिव

परिशिष्ट–3 ब

नियोजन निदेशालय का संगठनात्मक ढांचा

निदेशक (सचिव, नियोजन पदेन)

↓

अपर निदेशक (नियोजन संवर्गीय अथवा प्रतिनियुक्ति पर)

↓

संयुक्त निदेशक | संयुक्त निदेशक

	योजना संरचना प्रभाग (Plan Formulation Division)	अनुश्रवण एवं मूल्यांकन प्रभाग (Monitoring & Evaluation Division)	संसाधन प्रबन्धन प्रभाग (Resource Management Division)	प्रायोजना रचना एवं मूल्यांकन प्रभाग (Project Formulation & Appraisal Division)	अनुसन्धान प्रभाग (Research Division)
1. वरिष्ठ शोध अधिकारी–	2	1	1	1	1
2. शोध अधिकारी–	3	3	2	1	3
3. शोध सहायक–	3	3	2	2	3
4. अन्वेषक–	2	3	3		2
5. रा0 कम्प्यू0 प्रोग्रा0/ डाटा एण्ट्री ऑपरेटर	1	1		1	

लिपिक संवर्गीय एवं अनुसेवक संवर्ग के कर्मी

1. निजी सचिव–1
2. वैयक्तिक सहायक–2
3. आशुलिपिक–3
4. कार्यालय अधीक्षक–1
5. मुख्य लिपिक–1
6. लेखा/वरिष्ठ सहायक–4
7. कनिष्ठ सहायक/स्टोर कीपर/पुस्त0 सहा0–8
8. चालक–5
9. अनुसेवक–8

लिपिक/अनुसेवक संवर्गीय कर्मचारियों को यथाआवश्यकता प्रभागों में तैनात किया जायेगा।

आज्ञा से,

(अमरेन्द्र सिन्हा)

सचिव।

टिप्पणी–राजपत्र, दिनांक 02–11–2002, भाग–1 में प्रकाशित।

[प्रतिलिपि सूचनार्थ प्रेषित–]

पी0एस0यू0 (आर0ई0) 1 नियोजन/463–20–11–2002–200 (कम्प्यूटर/रीजियो)।